# मध्यप्रदेश विधान सभा

## मार्च-मई, 1991 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

### सोमवार, दिनांक 18 मार्च, 1991 (फाल्गुन 27, 1912)
### समय 10.30 बजे दिन

#### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

#### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री विक्रम वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग अधिनियम, 1973 (क्रमांक 21 सन् 1973) की धारा 17 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 पटल पर रखेंगे.

#### 3. नियम 138(1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सदस्य, मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी न होने की ओर राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, चम्बल नहर का दांया तट टूटने से फसलों को हुई क्षति की ओर जल-संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री शैलेन्द्र प्रधान, सदस्य, प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में पोस्ट ग्रेज्युएट कोर्स की रिक्त सीटें शीघ्र भरे जाने की ओर राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री सूबेदार सिंह, सदस्य, मुरैना जिले के सहकारी शक्कर कारखाना कैलारस के प्रबंधकों द्वारा गन्ना-खरीदी में की जा रही अनियमितताओं की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

#### 4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य :

(क) जिला दुर्ग, विकास खण्ड बालोद के ग्राम खैरवाही में सिंचाई हेतु खनन किये गए नलकूप को विद्युत कनेक्शन दिये जाने तथा एक नया विद्युत ट्रांसफार्मर लगाये जाने के संबंध में 19 व्यक्तियों की,

(ख) जिला दुर्ग, विकासखण्ड बालोद के ग्राम टेकापार से खैरवाही एवं लोण्डीमार्ग का गिट्टीकरण तथा पुलिया निर्माण किये जाने के संबंध में 19 व्यक्तियों की,

(ग) जिला दुर्ग, विकासखण्ड बालोद के ग्राम मुल्लेगुड़ा के तालाब के अपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के संबंध में 26 व्यक्तियों की,

(घ) जिला दुर्ग, विकासखण्ड बालोद के ग्राम सेमरकोना से मटिया मार्ग को पूर्ण किये जाने के संबंध में 8 व्यक्तियों की,

(ङ) जिला दुर्ग, विकासखण्ड बालोद के ग्राम सालेहटोला में सिंचाई सुविधा हेतु ट्यूबवेल खनन कराये जाने के संबंध में 21 व्यक्तियों की,